

पत्र सं०-विधि 4(3)/सा०पत्रा०(टैक्स बार एसो०) / 2021-22/

247

/वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 19 अगस्त, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- अधिवक्ता संघ एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य नियमित बैठकों के सम्बन्ध में ।

कतिपय अधिवक्ता संघों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विभाग में पूर्व में स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण हेतु विभागीय अधिकारियों एवं अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के मध्य नियमित बैठकें आयोजित की जाती रही हैं, परन्तु कुछ वर्षों से ऐसी बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण में कतिपय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं ।

अतः इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन के पंजीकृत अधिवक्ता संघों के साथ तीन माह में न्यूनतम एक बैठक का आयोजन करें ताकि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जा सके व राजस्व हित में अधिकारी व अधिवक्ता संघ परस्पर समभाव से तत्पर रहें ।

19/08/2021

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।